तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रहलाद बनाम रामलाल** **अपील संख्याः—जीसीएमएस नम्बर 2023/278**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील वापस लिये जाने एवं तहसीलदार बस्सी के निर्णय दिनांक 11.07.2023 की छाया प्रति पेश कर कथन किया है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बस्सी के द्वारा जिस आदेश दिनांक 13.06.223 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 26.06.2023 को तस्दीक किया था वह आदेश तहसीलदार बस्सी के द्वारा रिव्यू अदेश दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है। अब मूल आदेश निरस्त हो जाने से अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही है, अपीलान्ट अपील को विड्रो करना चाहता है। अतः अपीलान्ट की अपील को विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी के आदेश दिनांक 13.06.2023 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 26.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा तहसीलदार बस्सी के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 16/2023 उनवान प्रहलाद बनाम रामलाल के निर्णय दिनांक 11.07.2023 द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 13.06.2023 को रिव्यू कर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये गये है जिससे तहसीलदार बस्सी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 26.06.2023 वर्तमान में अस्तित्व में नही रहा है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत अपील वापस लिये जाने स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 11/7/23 **(अन्तरसिंह नेहरा)** संभागीय आयुक्त, जयपुर।	